न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 13/02/25

क्रमांक/भू.अ./2025/ 168

अनवान :–

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गगनसिंह वगैरा	बनाम	गोमराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

दिनांक : **06.02.2025**

राजस्व आवेदन सं. 111/2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ढ़ोक के मौजा घोनिया के खेत खसरा सं. 256/1 रकबा 08.0937 **हैक्टयर** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दिनांक 13/02/2025

क्रमांक/भू.अ./2025/ 169–172

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गगनसिंह वगैरा
3. विप्रार्थीगण गोमराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 17:00:15 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन